

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
तृतीय तल, ब्लॉक-बी-4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 27 / त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./

नया रायपुर, दिनांक

10-02-2017

तकनीकी परिपत्र क्रमांक- 01/2017

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में स्वीकृत योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी से निविदा प्रारूप का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यपालन अभियंताओं द्वारा निविदाओं का आमंत्रण किया जाता है। इस कार्यालय के तकनीकी परिपत्र क्रं 3/2016 (जावक क्रमांक 22/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./2016 नया रायपुर, दिनांक 15.02.2016) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पृथक-पृथक कार्य हेतु पृथक-पृथक आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में ठेकेदारों की सहभागिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 10-1/07-2016/34-2/3782 रायपुर दिनांक 31.12.2016 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों के विभिन्न अवयवों हेतु वांछित अनुभव की शर्तें एवं ठेकेदारों की निविदा क्षमता के निर्धारण हेतु पारदर्शिता एवं एकरूपता को ध्यान में रखते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ठेकेदारों की प्री-क्वालीफिकेशन की पात्रता के मापदंड का निर्धारण किया गया है। पात्रता निर्धारण के बिंदु क्रमांक-4 में हेड वर्क्स (इंटेकवेल एवं जल शुद्धिकरण संयंत्र) के निर्माण कार्यों हेतु निविदाकारों की प्रतिस्पर्धा की कमी को देखते हुए ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) की अनुमति प्रदान की गई है।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 31.12.2016 में ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) के संबंध में किये गये प्रावधान से ठेकेदारों की सहभागिता एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना निश्चित रूप से संभावित है। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र क्रं 3/2016 को अप्रभावशील किया जाता है।

पृ.क्र. 1248 / त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./2017
प्रतिलिपि-

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 10-02-17

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/कोण्डागाँव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परियोजना खण्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर